प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स 216/23 दिनांक 8/8/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट 1988(संशोधित2018)
   (2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 166 समय 8:40 Pm
   (2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 07.08.2023 समय 02:01 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 01.08.2023 समय करीब 01:25 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 430 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : – श्री गौरीशंकर डांगी
   (2) पिता का नाम : – स्व. श्री सुखलाल जी
   (3) आयु : – 31 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : – पढाई
   (7) पता : – ग्राम बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1 श्री अखिलेश जारोली पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जारोली उम्र 31 वर्ष निवासी गांव बम्बोरा तहसील कुराबड जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर
   2 श्री वरदीचंद डांगी पुत्र श्री पृथवीराज डांगी उम्र 48 वर्ष निवासी गांव बिछडी जिला उदयपुर हाल ग्राम रोजगार सहायक (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत बिछडी प.स.कुराबड जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	10,000 रूपये	

आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री गौरी शंकर डांगी के पटवार हल्का ग्राम बिछडी स्थित कृषि भूमि के नामांतरण दर्ज करने की एवज में परिवादी से दिनांक 01.08.2023 को 13,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 3,000 रूपये ग्रहण करने एवं शेष 10,000 लेने की सहमति देने पर दिनांक 07.08.2023 को अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 10,000 रूपये अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण करने के पश्चात 9,000 रूपये अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब में रखकर 1,000 रूपये परिवादी को पुनः लौटाना तथा रिश्वत राशि 9,000 रूपये आरोपी श्री वरदीचंद डांगी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बिछडी को देना जिसके द्वारा रिश्वत राशि को अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब में रखना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 10,000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 01.08.2023 को समय करीब 1.25 पीएम पर श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, कार्यालय उप महानिरीक्षक भ.नि.ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर बताया कि आप स्वयं एवं एक ब्यूरो कानि मय ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर अपने साथ लेकर कार्यालय उप महानिरीक्षक भ.नि.ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर पर अविलंब उपस्थित होवे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री दिनेश कुमार कानि नम्बर 266को ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर नया खाली मैमोरी सिंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग ब्लेक कार्ड लगा हुआ अपने साथ लेकर ब्यूरो इकाई एसयू से रवाना होकर कार्यालय उप महानिरीक्षक भ.नि.ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर पहुंच श्री हरिश्चंन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक से उनके कार्यालय कक्ष में जाकर मिला। जहां पर पूर्व से एक व्यक्ति बैठा हुआ था। श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक का परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी पुत्र स्व. श्री सुखलाल डांगी निवासी गांव बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर से परिचय कराया एवं परिवादी से रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रीम कार्यवाही हेतु बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी से दरियाफ्त की गई। परिवादी ने एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर अंकित किया कि ''कि मैं गौरीशंकर डांगी पुत्र श्री स्व. सुखलाल डांगी निवासी बिछडी त. कुराबड जिला उदयपुर का निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम ग्राम बिछडी के खाता संख्या 169,406,204,239,238,237 कृषि भूमि है। उक्त जमीन की जमाबंदी में मेरे पिताजी का नाम एवं मेरा नाम गलत दर्ज होने से मैने नियमानुसार नाम शिविर में आवेदन कर दुरस्त करवाया था मेरे पिताजी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चोखा था जिसको दुरस्त करवाकर सुखलाल करवाया एवं मेरा नाम गौरीशंकर है जो रेवेन्यु रिकॉर्ड में शंकर दर्ज था उसको दुरस्त करवाया। मैने उक्त दुरस्ती आदेश को दिनांक 21.7.23 को बिछडी पटवारी श्रीमान अखिलेश जारोली साहब को नामांतरण खुलवाने हेतु दिया था पटवारी साहब ने नामांतरण खोलने की एवज में 15,000 रूपये की मांग की जो कि मैने हाथाजोडी करके 2000 कम करवाये एवं 13,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज काम के लिये रिश्वत नही देना चाहता हूं। ओर मेरी पटवारी साहब से कोई भी पुरानी लेनदेन बकाया नही है एवं कोई रंजिश नही है। अतः आपसे निवेदन है उचित कार्यवाही करावे''। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने परिवादी को इस बाबत अवगत कराया। जिस पर परिवादी श्री गौरीशंकर ने बताया कि आज पटवारी साहब पटवार मंडल बिछडी पर उपस्थित है तथा वो मेरे से रिश्वत राशि मांग कर वार्ता कर लेंगे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह उपस्थित श्री दिनेश कुमार कानि. से परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी का आपस में परिचय करवाकर परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि भलीभांति समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मैं अपने साथ मेरी निजी कार से आया हूं। जिस पर समय करीब 02.15 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी के साथ जाकर अग्रीम मांग सत्यापन वार्ता व,ट लाने की हिदायत देकर परिवादी की कार से पटवार मंडल बिछडी की ओर रवाना किया। समय करीब 03:21 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि '' आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी के साथ ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी की कार से रवाना हो पटवार मंडल बिछडी तहसील कुराबड गया। पटवार मण्डल से पहले कुछ दूरी पर रूककर मैने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री गौरीशंकर को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो के बीच छुपाकर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु बाद हिदायत पटवार मण्डल बिछडी की ओर उसकी कार से रवाना किया तथा मैं आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा. कुछ समय बाद परिवादी पुनः पटवार से मण्डल बिछडी से अपनी कार लेकर मेरे पास आकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी श्री अखिलेश जारोली पटवारी साहब से मेरे भूमि नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी साहब ने 13,000 रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर मैने अपने पास से 3,000 रूपये उन्हें दिये तथा शेष 10,000 रूपये देने पर ही पटवारी साहब ने नामांतरण खोलने हेतु कहा है तथा परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ने एक दो दिन बाद शेष रिश्वत राशि देने के लिये बताया है।'' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ब्यूरो उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

तत्पश्चात् समय 04:10 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि मय परिवादी श्री गौरीशंकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। श्री दिनेश कुमार कानि ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि '' आपके

निर्देशानुसार मैं एवं श्री दिनेश कुमार जी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर मेरी कार से पटवार मंडल बिछडी तहसील कुराबड गये, पटवार मण्डल से पहले कुछ दूरी पर रूके जहां श्री दिनेश जी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर दिया मेने अपने पहने हुए कपडो के बीच छुपाकर पटवारी साहब श्री अखिलेश जी जारोली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पटवार मण्डल बिछडी की ओर अपनी कार से गया। दिनेश जी पटवार मण्डल से कुछ दूरी पर मेरी कार से उतर गये, मै पटवार मण्डल पर गया जहां श्री अखिलेश जी पटवारी साहब उपस्थित मिले जिनसे मेने मेरे भूमि नामांतरण खोलने के संबन्ध में वार्ता की तो नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी साहब ने 13,000 रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर मेने उनसे कम करने के लिये कहा तो पटवारी साहब नही माने जिस पर मेने अपने पास से 3,000 रूपये उन्हें दिये तथा शेष 10,000 रूपये एक दो दिन में देने पर ही पटवारी साहब ने नामांतरण खोलने हेतु कहा है।'' श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा भी परिवादी के कथनों की ताईद की गई। जिस पर वार्ता सत्यता हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद होना एवं संदिग्ध आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी द्वारा परिवादी श्री गौरीशंकर से उसके भूमि के नामांतरण खोलने की एवज में 13,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 3,000 रूपये ग्रहण करना एवं शेष 10,000 रूपये एक दो दिन लेना बताया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। परिवादी को श्री अखिलेश जारोली पटवारी पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 03.08.2023 को समय 10.00 एएम पर ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित आने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये।

दिनांक 02.08.2023 श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो एसयू उदयपुर के समक्ष परिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2023 एवं परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी एवं आरोपी अखिलेश जारोली पटवारी के मध्य दिनांक 01.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जाकर अब तकी गई कार्यवाही के हालात अर्ज कर अग्रीम कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त किये। श्री भारतसिंह कानि0 को तहरीर देकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह को ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित कर पाबन्द करानें की हिदायत दी गई। दिनांक 03.08.2023 को समय करीब 10:15 एएम पर पुर्व पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर पुत्र स्व. श्री शंकरलाल जी उम्र 52 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04 तुलसी नगर हिरण मगरी जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ लिपिक, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर एवं श्री हेमन्त प्रजापत पुत्र स्व. श्री शोभालाल उम्र 30 वर्ष निवासी गांव कविता पोस्ट थूर तहसील बडगांव जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ लिपिक, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित हुए। उपस्थित दोनो गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 10:40 एएम पर पुर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित हुआ। परिवादी ने बताया कि श्री अखिलेश जारोली पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने साथ लेकर आया हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2023 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द स्वयं की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात समय करीब 10:50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 01.08.2023 को परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी पटवार मण्डल बिछडी के मध्य कार्यालय पटवार मण्डल बिछडी पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध लोकसेवक श्री अखिलेश जारोली की होने की ताईद की। वार्ता को सुनकर स्वतंत्र गवाह द्वारा रिश्वत राशी मांग करने की पुष्टि की। श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क ''A'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। समय करीब 12:10 पीएम पर उपरोक्त स्वंतत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर एवं श्री हेमन्त प्रजापत के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अखिलेश जारोली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी से मांगने पर

परिवादी ने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 KB 030471
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 HD 023886
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 CK 062050
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 CL 887625
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 GP 938721
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 WG 952136
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 FK 782790
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 GG 602123
9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 CH 852474
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 RR 763638
11	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 FV 426899
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 QK 788312
13	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 NT 219292
14	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 MG 478597
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 GQ 328300
16	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 BC 371417
17	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 BE 499598
18	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BL 826039
19	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 UD 203721
20	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 ME 574078

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नंबरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 10,000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री हेमन्त प्रजापत से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री भारतसिंह कानि० से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफथेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि० श्री भारतसिंह कानि से कार्यालय से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी को उनकी मांग अनुसार 10,000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री भारतसिंह कानि. से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों

के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपियों के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें या गोपनीय तरीके से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल देकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के फोन में सेव करवाये। तत्पश्चात श्री गौरीशंकर को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर सुपुर्द किया गया। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी एवं श्री दिनेश कुमार कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की स्कूटी से आगे - आगे रवाना कर पीछे - पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर, श्री हेमन्त प्रजापत, श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, श्री लालसिंह हेड कानि मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन से तथा श्री भारतसिंह कानि एवं श्री राजेश कानि को सरकारी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से बिछडी पटवार मण्डल बिछडी की ओर रवाना समय करीब 01.05 पीएम पर बिछडी गांव मुख्य सडक स्थित बिछडी ग्राम पंचायत भवन के प्रथम तल स्थित पटवार मण्डल से कुछ दुरी पहले पहुंचे। परिवादी श्री गौरीशंकर को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर बाद हिदायत उसकी स्कूटी से पटवार मण्डल बिछडी की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान हमराहीन पटवार मण्डल के आसपास ही अपनी-अपनी मौजूदगी को छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे मे खडे रहे। परिवादी पटवार मण्डल में जाकर कुछ समय बाद पूर्व निर्धारित ईशारा किये बिना पुनः बाहर आकर अपनी स्कूटी लेकर पटवार मण्डल से देबारी रोड की ओर रवाना हुआ परिवादी के मोबाईल पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कॉल कर पुछा तो परिवादी ने बताया कि ''आज पटवार मण्डल के बाहर बहुत गाडियां खडी है एवं जन सुनवाई केम्प चल रहा है, भीड भाड ज्यादा है, पटवारी साहब पटवार मण्डल पर नजर नही आये। केम्प दिन में 2 बजे तक चलेगा इसलिये मै वापस बाहर आ गया''। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन अपने अपने वाहनो से देबारी रोड पर खडे परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मेने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि 2 बजे तक केम्प चलेगा अभी पटवार मण्डल में बहुत सारे लोग है तथा पटवारी साहब पटवार मण्डल पर नजर नही आये है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री गौरी शंकर डांगी मय स्वतंत्र गवाहान हमरा जाब्ता के आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के पटवार मण्डल पर आने का इन्तजार किया। केम्प समय समाप्त होने के पश्चात पुनः परिवादी को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर बाद हिदायत के पटवार मण्डल से कुछ दूर पहले पहुंच समय करीब 02.51 पीएम पर परिवादी को उसकी स्कूटी से पटवार मण्डल बिछडी पर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान हमराहीन पटवार मण्डल के आसपास ही अपनी-अपनी मौजूदगी को छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे मे खडे रहे। परिवादी पटवार मण्डल में जाकर कुछ समय बाद पूर्व निर्धारित ईशारा किये बिना पुनः बाहर आकर अपनी स्कूटी लेकर पटवार मण्डल से देबारी रोड की ओर रवाना हुआ जिस पर परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी को कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि '' पटवारी साहब पटवार मण्डल पर उपस्थित नही है''। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन अपने अपने वाहनो से देबारी रोड पर खडे परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मेने बंद कर अपने पास रखा। इसके बाद आरोपी की लोकेशन पता करने के लिये समय करीब 03.11 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन को लाउड मोड पर कर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 7014302583 से आरोपी श्री अखिलेश जारोली के मोबाईल नम्बर 8764138723 पर कॉल करवाकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तो आरोपी ने बताया कि मैं ट्रेनिंग के लिए जयपुर गया हूआ हूं एवं सोमवार के दिन मिलना बताया। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नही होने से गवाह श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक से परिवादी की जेब में रखी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000 रूपये निकलवाये जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायें गये। गवाह श्री मांगीलाल बुनकर के हाथों को वाहन मे रखी पानी के बोतल एवं साबून से धुलवाये। परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं

सोमवार के दिन अग्रिम कार्यवाही की हिदायत देकर रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान जाब्ता के अपने अपने वाहनो से देबारी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ। गवाहान को दिनांक 07.08.2023 को 10.30 एएम पर ब्यूरो पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया। मांग सत्यापन वार्ता की मूल सीडी एवं डब सीडी को ट्रेप बॉक्स में रखवाकर ट्रेप बॉक्स को मालखाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि को संभलाया।

दिनांक 07.08.2023 को समय करीब 10:30 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वंतत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक एवं श्री हेमन्त प्रजापत कनिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर उपस्थित हुएं। समय करीब 11:30 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी उपस्थित हुआ। परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब जयपुर से वापस आ गये है। दिनांक 04.08.2023 को मेने पटवारी साहब को बिछडी में देखा है। इसके बाद समय करीब 11:40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 03.08.2023 को समय करीब 03.11 पीएम पर परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी के मोबाईल नम्बर 7014302583 एवं संदिग्ध आरोपी श्री अखिलेश जोरोली पटवारी पटवार मण्डल बिछडी के मोबाईल नम्बर 8764138723 पर आपस में हुई मोबाईल फोन वार्ता जिसे परिवादी का मोबाईल फोन लॉउड मोड चालूकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध लोकसेवक श्री अखिलेश जारोली की होने की ताईद की। उक्त वार्ता की श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क ''B'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप बॉक्स में रखे लिफाफे में पूर्व में रखी परिवादी द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी की पहनी हुई जिंस की पेंट की जेब में रखवाई गई। परिवादी को पुनः हिदायत दी गई कि आरोपी के रिश्वत राशि मांगने पर ही देवे तथा आरोपी द्वारा ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें या गोपनीय तरीके से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल देकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री गौरीशंकर को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय करीब 01:05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी एवं श्री दिनेश कुमार कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की स्कूटी से आगे - आगे रवाना कर पीछे - पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर, श्री हेमन्त प्रजापत, श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, श्री लालसिंह हेड कानि मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन से तथा श्री भारतसिंह कानि श्री प्रदीप भण्डारी को सरकारी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से बिछडी पटवार मण्डल बिछडी की ओर रवाना हो समय करीब 01.48 पीएम पर बिछडी गांव मुख्य सडक स्थित बिछडी ग्राम पंचायत भवन के प्रथम तल स्थित पटवार मण्डल से कुछ दुरी पहले पहुंचे। वाहन को साईड में एकान्त में खडा कर उपस्थित परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी को गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर रिश्वत राशि आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी को देने हेतु उसे उसकी स्कूटी से पटवार मण्डल बिछडी की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान हमराहीन पटवार मण्डल के आसपास ही अपनी-अपनी मौजूदगी को छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे मे खडे रहे। समय करीब 02.01 पीएम पर परिवादी ने पूर्व निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 7014302583 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414267591 पर कॉल कर बताया कि पटवारी साहब को उनकी मांग के अनुसार रिश्वत राशि दे दी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान एवं हमरा जाब्ता को रिश्वत राशि ग्रहण का हाथ से ईशारा बताकर तेज कदमो से चलते हुए ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार पर खडे परिवादी से जाकर मिला तो परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू अवस्था में मुझे दिया जिसे बंद कर मेने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब श्री अखिलेश जी ग्रम पंचायत के प्रथम तल पर स्थित पटवार मण्डल कार्यालय में पूर्व से बेठे हुए थे। मेने पटवारी साहब से मेरे नामांतरण खोलने से संबधित वार्ता की एवं पटवारी साहब को उनकी मांग के अनुसार 10,000 रूपये रिश्वत राशि दी जो उन्होने अपने हाथों में लेकर गिनकर 10,000 रूपये मे 9,000 रूपये पटवारी साहब ने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखे तथा उस मे से 500-500 रूपये के 2 नोट कुल 1,000 रूपये मुझे पुनः लौटाये जो मेरे पास मेरी पेंट की जेब में है। इसके बाद मैं पटवार मण्डल की सिडियां उतरकर निचे मेनगेट की तरफ

आया तब पटवारी साहब भी मेरे पीछे पीछे नीचे आकर ग्राम पंचायत कार्यालय में गये तथा अभी आपके आने से पहले ही पुनः पटवार मण्डल कार्यालय में गये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान गवाहान जाब्ता परिवादी के कार्यालय ग्राम पंचायत भवन के प्रथम तल पर स्थित पटवार मण्डल कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया जहां टेबल कुर्सी लगी हो एक व्यक्ति बेठा हुआ मिला। उक्त व्यक्ति की ओर परिवादी श्री गौरी शंकर ने हाथ से इशारा कर बताया कि यही श्री अखिलेश जी पटवारी, पटवार मण्डल बिछडी है जिन्होंने मेरी ग्राम बिछडी तहसील कुराबड स्थित कृषि भुमि खाता संख्या 169,406,240,239,238,237 जिसमे मेरा एवं मेरे स्व. पिता का नाम संशोधन करने हेतु शिविर में आवेदन किया था जिस पर उक्त खाता में मेरे पिता का नाम चौखा के स्थान पर सुखलाल एवं मेरा नाम शंकर के स्थान पर गौरीशंकर करवाया था नामांतरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार कुराबड द्वारा आदेश कमांक 1397 दिनांक 20.7.2023 जारी किया था। उक्त आदेश लाकर मेने पटवारी साहब श्री अखिलेश जी को दिया तो उन्होने मेरे उक्त नामातंरण दर्ज करने की एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर 13,000 रूपये रिश्वत हेतु सहमति दी थी। दिनांक 01.08.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान पटवारी साहब ने 13,000 रूपये मे से 3,000 रूपये ग्रहण किये तथा शेष 10,000 रूपये बाद में देने लेने हेतु कहा जिस पर आज पटवारी साहब को उनकी मांग के अनुसार मेने 10,000 रूपये रिश्वत राशि दी जो उन्होने अपने हाथों में लेकर गिनकर 10,000 रूपये मे 9,000 रूपये पटवारी साहब ने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखे तथा उस मे से 500-500 रूपये के 2 नोट कुल 1,000 रूपये मुझे पुनः लौटाये जो मेरे पास मेरी पेंट की जेब में है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री अखिलेश जारोली पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जारोली उम्र 31 वर्ष निवासी गांव बम्बोरा तहसील कुराबड जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी को परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी से अभी - अभी 10,000 रूपये रिश्वत राशि के किस बात के ग्रहण किये के बारे में पुछने पर आरोपी ने बताया कि साहब मेने श्री गौरीशंकर जी से कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। श्री गौरीशंकर डांगी झुठ बोल रहे है। ये मेरे पास अभी कुछ देर पहले आये थे। इनके ग्राम बिछडी स्थित कृषि भूमि के खाते में नाम दुरस्तीकरण के काम से मेरे पास आये थे जिस पर मेने इनके काम से संबधित वार्ता की है तथा श्री गौरीशंकर डांगी से कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। जिस पर परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब झुठ बोल रहे है। इन्होने मेरे से इनकी मांग के अनुसार 10,000 रूपये मे से 9,000 रूपये पटवारी साहब ने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखे तथा उस मे से 500-500 रूपये के 2 नोट कुल 1,000 रूपये मुझे पुनः लौटाये जो मेरे पास मेरी पेंट की जेब में है। जिस पर आरोपी श्री अखिलेश जारोली हाथ जोडकर माफी मांगने लगा और कहने लगा साहब गलती हो गई मेरी नयी नयी नौकरी है मेरा केरियर खराब हो जाएगा आईन्दा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दो। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी को परिवादी श्री गोरीशंकर डांगी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि कहां रखी है के बारे में पुछा तो उसने बताया कि साहब मेने श्री गौरीशंकर डांगी से 13,000 रूपये इनके कृषि भूमि के नामांतरण खोलने की एवज में मांगे थे जिसमें से 3,000 रूपये दिनांक 01.08.2023 को इन्होने मेरे को दे दिये थे एवं शेष 10,000 रूपये इन्होने अभी लाकर मुझे दिये जिसमें से मेने 9,000 रूपये अपने पास रखे एवं 1,000 रूपये पुनः श्री गौरीशंकर डांगी को लौटाएं है। इसके बाद आरोपी से रिश्वत कहां पर रखी के बारे में पुछा तो उसने बताया कि साहब एसीबी कार्यवाही होने की शंका होने से मेने उक्त रिश्वत राशि 9,000 रूपये ग्राम पंचायत कुराबड के ग्राम रोजगार सहायक श्री वरदी चंद डांगी को दी है जो अभी नीचे ग्रम पंचायत कार्यालय में बेठे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी का बाया हाथ श्री भारत सिंह कानि ने कलाई के उपर से एवं दाहिना हाथ श्री प्रदीप कुमार कानि ने कलाई के उपर से पकडा तथा यथास्थिति आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी को मय स्वंतत्र गवाहान हमरा लेकर पटवार मण्डल के भू तल स्थित ग्राम पंचायत बिछडी के कार्यालय में लेकर आया जिस पर नरेगा कक्ष में एक व्यक्ति कुर्सी पर बेठा हुआ था जिसकी ओर आरोपी श्री अखिलेश जारोली ने ईशारा कर बताया कि ये श्री वरदीचंद डांगी ग्राम रोजगार सहायक जिनको में कार्यालय के हॉल में ले जाकर रिश्वत राशि के 9,000 रूपये रखने के लिये दिये थें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री वरदीचंद डांगी को 9,000 रूपये के बारे में पुछा तो उसने बताया कि अभी कुछ देर पूर्व श्री अखिलेश जी पटवारी साहब निचे मेरे पास आये एवं मेरे को हाल में ले जाकर 500-500 रूपये के कुछ नोट यह कहते हुए दिये कि ये रूपये मुझे किसी को देने है थोडी देर के लिये आप अपने पास रखों। जिस पर मेने अखिलेश जी पटवारी द्वारा दिये गये 500-500 को नोटो के बंडल को बिना गिने मेरी पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब में रखे है जो अभी मेरी पेंट की जेब में है। जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त प्रजापत से श्री वरदीचंद डांगी

की पहनी हुई पेंट की सामने की बायीं जेब से निकलवाये जाकर गिनवाये तो 500-500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये होना पाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि से श्री वरदीचंद डांगी का बायां हाथ कलाई के उपर से पकडवाकर दोनो आरोपीगणों मय गवाह जाब्ता के पुनः प्रथम तल पर स्थित पटवार मण्डल के कार्यालय कक्ष में ले जाया गया। आरोपीगणों द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में वास्तविकता जानने हेतु श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से टेक्सी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर से दो साफ कांच की गिलासों में आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी के कार्यालय में रखी पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को अलग-अलग कांच की गिलासो में भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच. -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच. -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.08.2023 के दौरान आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी द्वारा रिश्वत की राशि को उपर तहसीलदार एवं अधिकारियों को देने संबधित तथ्य सामने आने पर आरोपी श्री अखिलेश जारोली से पुछा तो उसने बताया उक्त रिश्वत राशि मे से उपर किसी भी अधिकारी को नही देना पडता है मेने तो श्री गौरीशंकर डांगी से ज्यादा रूपये प्राप्त करने के कारण यह बात कही थी। यह 13,000 रूपये रिश्वत के मेने मेरे स्वयं के लिये ग्रहण किये है।

तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से दो अन्य साफ कांच की गिलासों में साफ पानी को अलग-अलग भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से एक एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री वरदीचंद डांगी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.-3 व आर.एच. -4 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.-3 व एल.एच. -4 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात श्री वरदीचंद डांगी की पहनी हुई पेंट बरंग कार्बन ब्लेक चोकडीदार की सामने की बाई जेब से बरामद रिश्वत राशि जो पूर्व में श्री हेमन्त प्रजापत स्वतंत्र गवाह से निकलवाकर रखे थे का मिलान गवाह श्री हेमन्त प्रजापत से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से मिलान करवाया तो गवाह श्री हेमन्त प्रजापत ने हुबहु निम्नानुसार मिलान होना बताया -

क्रम सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 KB 030471
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 HD 023886
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 CK 062050
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 CL 887625
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 GP 938721
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 WG 952136
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 FK 782790
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 GG 602123

9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 CH 852474
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 RR 763638
11	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 FV 426899
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 QK 788312
13	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 NT 219292
14	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 MG 478597
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 GQ 328300
16	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 BC 371417
17	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 BE 499598
18	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 ME 574078

उक्त नोटों को वजह सबूत कागज की चिट में सीलबंद किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी को आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत राशि भेसे पुनः लौटाए गये 1,000 रूपये मांगने पर परिवादी ने अपनी पेंट की जेब से 500-500 रूपये के 2 नम्बरी नोट कुल 1,000 रूपये प्रस्तुत किये जिसका मिलान स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त प्रजापत से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर शेष नोटो से करवाया तो गवाह श्री हेमन्त प्रजापत ने हुबहु निम्नानुसार मिलान होना बताया -

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BL 826039
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 UD 203721

उक्त नोटों को वजह सबूत कागज की चिट में सीलबंद किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अखिलेश जारोली द्वारा रिश्वत राशी स्वयं की पहनी हुई काले रंग की जिंस की पेन्ट की आगे की बायीं जेब में रखनें से संबंधित जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से बाजार से एक पाजामा कय कर मंगवाया गया तथा आरोपी की पेन्ट को ससम्मान एक तरफ कोने में उतरवाई जाकर कय किया गया नया पाजामा पहनाया गया है। तत्पश्चात उक्त पेन्ट के आगे की बांयी जेब प्रकियानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री प्रदीप कुमार कानि0 से एक कांच के गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया जाकर उसमें पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को गिलास में भरवाया जाकर गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में आरोपी के पहनी हुई काले रंग की जिंस की पेन्ट की आगे की बायीं जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क पी-1 व पी -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के पेन्ट की आगे की बायीं जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जें ब्यूरों लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री वरदीचंद डांगी द्वारा रिश्वत राशी स्वयं की पहनी हुई कार्बन ब्लेक रंग की चोकडीदार पेन्ट की आगे की बायीं जेब में रखनें से संबंधित जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री वरदीचंद डांगी का निवास पटवार मण्डल के पास मे ही होने से एक अन्य पेंट मंगवाया गया तथा आरोपी की पेन्ट को ससम्मान एक तरफ कोने में उतरवाई जाकर नया मंगवाया गया पेंट पहनाया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट के आगे की बांयी जेब प्रकियानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री प्रदीप कुमार कानि0 से एक कांच के गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया जाकर उसमें पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को गिलास में भरवाया जाकर गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में आरोपी के पहनी हुई कार्बन ब्लेक रंग की चोकडीदार पेन्ट की आगे की बायीं जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क पी-3 व पी -4 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के पेन्ट की आगे की बायीं जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जें ब्यूरों लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी से परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी के ग्राम बिछडी तहसील कुराबड स्थित कृषि भुमि खाता संख्या 169,406,240,239,238,237 में नाम दुरस्ती आदेश होने के पश्चात् नामांतरण दर्ज करने के बारे में पुछा तो आरोपी श्री अखिलेश जारोली ने कार्यालय कक्ष में रखे उसके बेग से एक कागज निकालकर बताया कि ये कागज श्री गौरीशंकर जी मुझे दिनांक 21.07.2023 को पटवार मण्डल में आकर मुझे दिया था। जिसका अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेज में परिवादी के पिता एवं स्वयं का नाम दुरस्तीकरण का आदेश कमांक 1397 दिनांक 20.7.2023 होकर तहसीलदार (भू.अ.) तहसील कुराबड जिला उदयपुर द्वारा जारी हो पटवारी हल्का बिछडी को नामांतरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश में श्री गौरीशंकर डांगी के स्व. पिता का नाम चौखा से संशोधन कर सुखलाल किया गया है तथा श्री गौरीशंकर का नाम शंकर से संशोधन कर गौरीशंकर किया गया। जिस पर नामांतरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार कुराबड द्वारा आदेश कमांक 1397 दिनांक 20.7.2023 जारी किया था। जिस पर पटवारी श्री अखिलेश जारोली से पुछा तो बताया कि नामांतरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर मेरे द्वारा एलआरसी में आवेदन पत्र की पीडीएफ / हार्ड कॉपी बनाकर भेजी जाती है जिस पर संबधित रिसोर्स पर्सन द्वारा ऑनलाईन दर्ज कर पुनः मेरे को नामांतरण पी–21 सी की दो प्रतियां उपलब्ध करायी जाती है। जिस पर पटवारी प्रिंट निकालकर 10 दिवस के भीतर रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसके बाद उक्त रिपोर्ट आरआई को भेजी जाती है। मैं जयपुर ट्रेनिंग में गया था जो दिनांक 04.08.2023 को वापस आया और आज ही मैं श्री गौरीशंकर डांगी का कार्य करने वाला था। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अखिलेश जारोली से संबधित रेवेन्यू इन्सपेक्टर के बारे में पुछने पर बताया कि आरआई साहब का नाम श्री धर्मवीर वाल्मिकी है जो अभी जिंक ग्राम पंचायत पर है। जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये फोन श्री धर्मवीर वाल्मिकी आरआई वृत जिंक स्मेल्टर को पटवार मण्डल पर उपस्थित होने हेतु अवगत कराया। उक्त दस्तावेज तहसीलदार (भू.अ.) कुराबड द्वारा आदेश कमांक 1397 दिनांक 20.7.2023 को स्वतंत्र गवाह, परिवादी, आरोपी श्री अखिलेश जारोली, श्री वरदीचंद डांगी के हस्ताक्षर करवायें जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् समय करीब 04:20 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपीगण श्री अखिलेश जारोली एवं वरदीचंद डांगी की उपस्थिति में रिश्वत राशि ग्रहण एवं बरामदगी स्थल पटवार मण्डल बिछडी ग्राम पंचायत बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर फर्द घटनास्थल मुर्तिब कर गवाहान आरोपीगण एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये। इसके बाद श्री धर्मवीर वाल्मिकी आरआई जिंक स्मेल्टर तहसील कुराबड उपस्थित हुए। श्री धर्मवीर वाल्मिकी ने बताया कि मैं वृत जिंक स्मेल्टर में आरआई के पद पर पदस्थापित हूं एवं श्री अखिलेश जारोली बिछडी पटवारी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री धर्मवीर वाल्मिकी को आरोपी श्री अखिलेश जारोली से बरामद तहसीलदार (भू.अ.) कुराबड द्वारा आदेश कमांक 1397 दिनांक 20.7.2023 को बताकर पूछा तो श्री धर्मवीर वाल्मिकी ने बताया कि उक्त आदेश कमांक 1397 दिनांक 20.7.2023 तहसीलदार (भू.अ.) तहसील कुराबड जिला उदयपुर द्वारा जारी हो पटवारी हल्का बिछडी पटवारी श्री अखिलेश जारोली को नामांतरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त नामांतरण दर्ज हेतु संबधित पटवारी द्वारा एलआरसी में आवेदन पत्र की पीडीएफ / हार्ड कॉपी बनाकर भेजी जाती है जिस पर संबधित रिसोर्स पर्सन द्वारा ऑनलाईन दर्ज कर पुनः संबधित पटवारी को नामांतरण पी–21 सी की दो प्रतियां उपलब्ध करायी जाती है। जिस पटवारी प्रिंट निकालकर 10 दिवस के भीतर रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसके बाद उक्त रिपोर्ट मेरे पास आती है। जिस पर मेरे द्वारा हाल जमाबंदी तथा प्राप्त आदेश से मिलान कर जांच की जाती है। इसके बाद उसको स्वीकार/ अस्वीकार की टिप्पणी मेरे द्वारा की जाती है। सही होने पर स्वीकार कर वास्ते स्वीकृति हेतु संबधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को भेजी जाती है। उक्त नामांतरण दर्ज करने की रिपोर्ट पटवारी श्री अखिलेश जारोली द्वारा अभी तक प्रेषित नही की गई है। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.08.2023 एवं मोबाईल वार्ता दिनांक 03.08.2023 की डब सिडियां को लेपटोप से कनेक्ट करा बारी बारी से श्री धर्मवीर वाल्मिकी आरआई को सुनवाई गई तो धर्मवीर वाल्मिकी ने रिकॉर्डिंग वार्ताओ में एक आवाज श्री अखिलेश जारोली पटवारी की होना बताया तथा अन्य आवाज के बारे में जानकारी नही होना बताया।

इसके बाद समय करीब 05:20 पीएम पर परिवादी श्री गौरीशंकर, आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी एवं आरोपी श्री अखिलेश जारोली को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना स्वीकार किया। श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता को श्री

धर्मवीर वाल्मिकी आरआई को सुनाई गई तो उन्होने एक आवाज श्री अखिलेश जारोली पटवारी की होना बताया एवं अन्य आवाज के बारे जानकारी नही होना बताया। वार्ता की एक मूल एवं दो डब सीडी मुर्तिब की गई। मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा सीडी को कपडे की थैली में सीलबंद की जाकर मार्क ''C'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई। इसके बाद आरोपीगण श्री अखिलेश जारोली एवं श्री वरदीचंद डांगी को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी पटवार मण्डल बिछडी की गिरफ्तारी के दौरान जामातलाशी में मिला एक मोबाईल फोन वीवो वी-25 बरंग आसियन ब्ल्यू जिसके आईएमईआई नम्बर कमशः प्रथम 864931067678855 एवं दूसरा आईएमईआई नम्बर 864931067678848 है। उक्त मोबाईल ड्यूअल सिम होकर एक सिम जिओ कम्पनी की 7976274115 एवं दूसरी सिम बीएसएनएल 8764138723 है। उक्त मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क ''M'' अंकित किया गया। इसके बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.08.2023, मोबाईल फोन वार्ता दिनांक 03.08.2023 एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 07.08.2023 के दौरान ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग ब्लेक को मूल ही परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क ''M -1'' अंकित किया गया। आरोपी श्री अखिलेश जारोली से उसकी आवाज का नमूना देने हेतु पत्र एसपीएल 2 दिनांक 07.08.2023 दिया गया। जिस पर आरोरी श्री अखिलेश जारोली ने अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद आरोपीगण श्री अखिलेश जारोली पटवारी ग्राम पंचायत बिछडी एवं श्री वरदीचंद डांगी, ग्राम रोजगार सहायक अपने अपने बचाव में स्पष्टीकरण को पेश करने हेतु ब्यूरो कार्यालय पत्रांक कमशः एसपीएल 3 एवं एसपीएल 4 दिनांक 07.08.2023 जिस पर दोनो आरोपीगणों ने स्पष्टीकरण बाद में पेश करना अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रतियों को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया।

इसके बाद समय करीब 09:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भारतसिंह कानि एवं प्रदीप कुमार कानि को सरकारी मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना किया। कार्यालय पटवार मण्डल बिछडी के गेट पर ताला लगवाकर चाबी श्री धर्मवीर वाल्मिकी आरआई को संभलाई गई। परिवादी को बाद हिदायत रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा दोनो आरोपीगण श्री अखिलेश जारोली पटवारी, श्री वरदीचंद डांगी ग्राम रोजगार सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेश सोनी सउनि, श्री लाल सिंह हेड कानि, दिनेश कुमार कानिगण मय ट्रेप बॉक्स मालखाना आर्टीकल लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट टेक्सी वाहन से आरोपी श्री अखिलेश जारोली के किराये के आवास 290 शिव कॉलोनी हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 6 उदयपुर की खानातलाशी लेने हेतु रवाना 9.25 पीएम पर आरोपी के किराये के आवास पर पहुंच आरोपी गवाहान की उपस्थिति में मकान की खाना तलाशी लेकर फर्द मुर्तिब कर गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की। बाद वहां से रवाना हो आरोपीगणों को रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हाथीपोल में जमा करा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय एसयू उदयपुर पर पहुंचा। गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया। कार्यवाही में जब्तशुदा सिलचिट मालखाना आर्टीकल को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि को संभलाकर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने की हिदायत दी गई।

दिनांक 08.08.2023 आरोपीगणो को पुलिस थाना हाथीपोल उदयपुर के हवालात से प्राप्त कर जरिये तहरीर स्वास्थय परीक्षण करा ब्यूरो ईकाई पर लाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी से परिवादी श्री गौरीशंकर डांगी से दिनांक 01.08.2023 को दोराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 3000 रूपये ग्रहण किये गये थे के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि श्री गौरी शंकर ने दिनांक 01.08.2023 को मेरी मांग के अनुसार 13,000 रूपये मे से 3000 रूपये मुझे दिये थे वो 3000 रूपये मेने खर्च कर दिये है। अतः आरोपी श्री अखिलेश जारोली से पूर्व में रिश्वत में लिये गये 3000 रूपये बरामद करने की संभावना नही है। बाद पुछताछ आरोपीगणों को जरिये रिमाण्ड माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर कमांक 01 पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री अखिलेश जारोली पटवारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा आरोपी श्री वरदीचंद डांगी ग्राम रोजगार सहायक की जमानत स्वीकार की गई। आरोपी श्री अखिलेश जारोली को न्यायालय से जेसी वारंट प्राप्त कर केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री अखिलेश जारोली पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जारोली उम्र 31 वर्ष निवासी गांव बम्बोरा तहसील कुराबड जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री गौरी शंकर डांगी के पटवार हल्का ग्राम बिछडी स्थित कृषि भूमि के नामांतरण दर्ज करने की एवज में परिवादी से दिनांक 01.08.2023 को 13,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 3,000 रूपये ग्रहण करना एवं शेष 10,000 लेने की सहमति देना तथा दिनांक 07.08.2023 को अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 10,000 रूपये अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण करने के पश्चात 9,000 रूपये अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब में रखकर 1,000 रूपये परिवादी को पुनः लौटाना तथा रिश्वत राशि 9,000 रूपये आरोपी श्री वरदीचंद डांगी पुत्र श्री पृथवीराज डांगी उम्र 48 वर्ष निवासी गांव बिछडी जिला उदयपुर हाल ग्राम रोजगार सहायक (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत बिछडी प.स.कुराबड जिला उदयपुर को देना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (संशाधित 2018) एवं 120 बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने पेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अखिलेश जारोली, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बिछडी, तहसील कुराबड, जिला उदयपुर 2. श्री वरदीचंद डांगी, हाल ग्राम रोजगार सहायक (संविदाकर्मी), ग्राम पंचायत बिछडी, पंचायत समिति कुराबड, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 216/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

भवदीय,

8.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।